फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश –पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट

.....................................के न्यायालय मे मामला कमांक .... अ–6 वर्ष 2021–22

विषय फौती नामांतरण बावत् प्रकरण की श्रेणी ....ग्राम/मौजा ....

बन्दोबस्त कमांक ....पटवारी ह0 क्र0 .... रा0 नि0 मं0 ....तहसील मानुपर .कलेक्टर का कमांक ....सन् 200....... अनुविभागीय अधिकारी का कमांक ....सन् 200...200...तहसीलदार का कमांक ....सन् 200.........200.....नायब तहसीलदार का कमाकं............ सन् 200.....200...

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान (1)	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन–पत्र अथवा कार्यवाही (2)	जहां आवश्यक हो, पर्चा अथवा वकीलो के हस्ताक्षर,आदेशों के पालन करवाकर लिपिक के संक्षित हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख (3)
	आवेदक श्री .... पिता श्री .... निवासी ग्राम ....पटवारी हल्का नं0 .... द्वारा भूमि ग्राम ....के खसरा नं0 ....रकवा .... कुल रकवा .... हे0 जो वर्तमान खसरा अभिलेख मे ....के नाम स्वतंत्र/सह खाता दर्ज है का जरिये फौती नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज किया जाये। 1. इश्तहार जारी हो। 2. हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया जावे। तहसीलदार तहसील–मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0) पेशी तारीख प्रकरण पेश। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त। इश्तहार प्रकाशन पश्चात प्राप्त कोई आपत्ति प्राप्त नही। प्रकरण आदेशार्थ रखा जावे। तहसीलदार तहसील–मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0)	

ार्यालय तहसीलदार तहसील मानपुर,जिला–उमरिया (म0प्र0)

आदेश

रा0प्र0क्र0 /अ-6/20......

(1)	(2)	(3)
	प्रकरण पेश। प्रकरण का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त में सार यह है कि आवेदक.................. .... पिता श्री .... साकिन.. द्वारा ग्राम ....स्थिति आराजी खसरा नं0 ....रकवा................................. का फौती वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र मय मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत.................................. द्वारा प्रमाणित सेजरा म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के तहत पेश किया गया है। प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया गया। इश्तहार का प्रकाशन कराया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही। हल्का पटवारी को जॉच प्रतिवेदन पेश करने वावत् पत्र जारी किया गया हल्का पटवारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन मय पंचनामा पेश किया गया जो संलग्न प्रकरण है हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम ....स्थित उक्त वर्णित आराजियां वर्तमान खसरा अभिलेख अनुसार .... के नाम दर्ज है। जिसमें भूमिस्वामी .... की मृत्यु हो गई है जिसके विधिक वारिसों के नाम नामांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आराजी खसरा नम्बरो के फौत भूमिस्वामी ....के स्थान पर उसके विधिक वारिसों .... के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। हल्का पटवारी रिकार्ड अद्यतन कर पालन प्रतिवेदन पेश करे। प्रवाचक टीप करे। बाद प्रकरण नस्ती कर दा0 द0 हो। तहसीलदार तहसील–मानपुर जिला–उमरिया (म0प्र0)	

आवेदन पत्र

प्रति,

श्री मान् तहसीलदार महोदय
तहसील मानपुर
जिला उमरिया म0प्र0

विषयः— फौती नामांतरण बावत्।

महोदय,

निवेदन है कि मै आवेदक .... पिता .... ग्राम ....तहसील.......................... जिला .... का निवासी हूँ। ग्राम.................... .... प0ह0न0 .... तहसील........................जिला............................... की भूमि .... खसरा नं0 ....के .... पिता .... भूमिस्वामी .... जो मेरे .... निवासी .... पिता/पति/माँ/पत्नी/ ....है, के फौत हो जाने से विरासतन हक के आधार पर उसके बैद्य वारिसों के नाम फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन – पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के तहत संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वर्तमान खसरे की नकल सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नीचे दर्शाये गये खानदानी सेजरा अनुसार वर्तमान खसरा अभिलेख में समस्त वारिसों का नाम दर्ज कराने की कृपा करे

सेजरा

हस्ताक्षर आवेदक

प्रतिवेदन पटवारी हल्का............................वृत्त ....तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

प्रति,

तहसीलदार महोदय,
तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

विषयः– मृतक .... के वारिसाना नामांतरण किये जाने के संबंध में।

विषय के संबंध में लेख है कि आवेदक .... पिता / पति........ .... निवासी .... द्वारा ग्राम .... पटवारी हल्का ....की भूमि खसरा नं0 ....के .... कुल रकवा .... भूमिस्वामी .... के फौत हो जाने पर वारिसाना नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध मे पाया गया कि

1. वर्तमान खसरा अभिलेख में उक्त भूमियॉ .... के नाम स्वतंत्र /सहखाता दर्ज है जिसमें खातेदार .... की दिनांक ....को मृत्यु हो गई है जिसके संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न प्रतिवेदन है।
2. मृतक के वारिसों के संबंध में आवेदक, ग्राम जनो एवं कोटवार से पूछताछ किया जाकर सेजरा निम्नानुसार है:–

उक्त वारिसो के अतिरिक्त मृतक का अन्य कोई वारिस नही है।
अतः मृतक भूमिस्वामी का वारिसाना नामांतरण किये जाने हेतु प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

दिनांक–

संलग्न

हस्ताक्षर

पटवारी

हल्का नं.................................

पंचनामा

आज दिनांक .... को हम ग्राम पंचान यह तस्दीक करते है की ग्राम ....
.....पटवारी हल्का .... के निवासी ....पिता
/पति .... की मृत्यु दिनांक .... को ग्राम ....
में हो चुकी है जिसके परिवार में वारसान निम्न सेजरा अनुसार है

सेजरा

हम ग्राम पंचान यह तस्दीक करते है कि मृतक के वारिसों के संबंध में कोई तथ्य नही छिपाया गया है। उक्त वारिसो के अतिरिक्त मृतक का अन्य कोई वारिस नही है। पंचनामा मौके पर तैयार किया जाकर उपस्थित ग्राम पंचानों के हस्ताक्षर लिये गये।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर कोटवार

पटवारी हल्का नं

हस्ताक्षर गवाह

कार्यालय तहसीलदार तहसील मानपुर,जिला–उमरिया (म0प्र0)

क्रमांक / /20................ .... मानपुर,दिनांक

इश्तहार (उद्घोषणा)

(धारा अन्तर्गत 109/110 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959)

एतद्र व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम .... पटवारी हल्का नम्बर ....राजस्व निरीक्षक मंण्डल ....तहसील मानपुर में स्थित भूमि जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है के नामान्तरण के संबंध में कार्यवाही प्रस्तावित है।

भूमि का विवरण

क्रमांक	नामान्तरण में हित रखने वाले पक्षकार का नाम व पता		खसरा नम्बर	रकवा	लगान
	फौत व्यक्ति का नाम	वारसानो के नाम			

उक्त भूमि पर स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति ऊपर दर्शाई गई भूमि के नामांतरण के सम्बंध में आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो पैरा क्रमांक 01 में दर्शाये गये स्थान दिनांक व समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

स्थान–मानपुर

दिनांक–.................

तहसीलदार
तहसील–मानपुर
जिला–उमरिया (म0प्र0)

Scanned by CamScanner